संख्या-60/2016-2135 ई-2/तेरह-2016-01/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 अक्टूबर,2016

विषय:- सी0के0 रेस्टोरेन्ट, आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-4बी/2, आर0एन0जी0पी0 पाठक कॉम्पलैक्स, आगरा को एफ0एल0-7 बार लाइसेंस की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-684/आब0सहा0/2016-17, दिनांक 12 सितम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 09-09-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-138/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 21 सितम्बर,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती बॉबी शर्मा पुत्री श्री भगवान सिंह शर्मा, नि0 1265, सेक्टर-7, आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा के नाम सी0के0 रेस्टोरेन्ट, आवास विकास कालोनी, सेक्टर-4बी/2, आर0एन0जी0पी0 पाठक कॉम्पलैक्स, आगरा को वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-60/2016/2135(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-138/दस-लाइसेंस-12/खण्ड-10/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/आगरा, दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।